02 नए बजट प्रावधानों के अनुसार कैसे चुने निवेश की बेहतर योजना

How to select better Tax Saving Scheme

नए बजट प्रावधानों के अनुसार, निवेश द्वारा आयकर बचाने हेतु बेहतर विकल्प उपलब्ध धारा 80C, 80CCC & 80CCD के तहत किए गए निवेश अधिकतम 1.5 लाख रू. की सीमा तक सीधे करयोग्य आय से घटाये जा सकेंगें। करदाता को अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी निवेश की योजना में निवेश इस प्रकार करना चाहिए कि उसका कुल निवेश 80C मे निवेश 80CCD (नियोक्ता द्वारा पेंशन प्लान में दिया गया अंशदान को छोड़कर) में मिलाकर 1.5 लाख से अधिक न हो। तथा NPS में 50,000 रू. तक अलग से निवेश कर कुल 2 लाख रू तक की कटौति प्राप्त की जा सकती है ।

क्र	निवेश के विकल्प	निवेश क्यो ?	क्या प्राप्त ब्याज /बोनस/धनवृद्धि करमुक्त है?	कर प्रावधान (Tax Modal)
1	भविष्य निधि GPF/CPF	अति सुरक्षित निवेश है	हां	EEE
2	समूह बीमा योजना GIS	कर्मचारियों के लिए यह अनिवार्य निवेश है	हां	EEE
3	जीवन बीमा	रिस्क कव्हर व, धनवृद्धि के लिए	हां	EEE
4	पेंशन प्लान (limit up to 1 lakh)	भविष्य के खर्च हेतु बचत	पेंशन करयोग्य	EET
5	लोक भविष्य निधि PPF	सुनिश्चित लाभ (8%)	हॉं	EEE
6	इक्विटी लिंक्ड टैक्स सेविंग स्कीम ELSS	कुछ जोखिम के साथ अधिक लाभप्रद	हॉं	EEE*
7	राष्ट्रीय बचत पत्र NSC	सुनिश्चित लाभ (8%)	ब्याज कर योग्य	ETE
8	अधिसुचित बैंक/पोस्ट आफिस में सावधि जमा FD, 5 या उससे अधिक वर्ष के लिए या वरिष्ठ नागरिक योजना	सुनिश्चित लाभ (8 से 10%)	ब्याज कर योग्य	ETE
9	नाबार्ड द्वारा जारी बाण्ड	सुनिश्चित लाभ (8 से 10%)	ब्याज कर योग्य	ETE
10	बच्चों की ट्यूशन फीस	आवश्यक खर्च	––	--
11	गृह ऋण मूलधन, स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस	आवश्यक खर्च, यदि ऋण लेकर मकान खरीदा या बनाया हो	––	--
12	सुकन्या समृद्धि खाता	अति सुरक्षित निवेश है	हां	EEE

स्टाक एक्सेंज मे सूचीबध्द शेयरो मे निवेश पर 25,000 रूपये की अतिरिक्त कटौती (Deduction) (धारा 80CCG) – सरकार द्वारा राजीव गॉधी इक्विटी योजना के तहत, अधिसूचित स्टाक एक्सेंज मे सूचीबध्द शेयरो मे किये निवेश की राशि के 50% की कटौती, अधिकतम 25,000 रूपये तक की सीमा मे, ऐसे नये खुदरा निवेशक, व्यक्ति तथा हिन्दु अविभक्त परिवार को प्राप्त होगी, जिनकी सकल आय दस लाख रूपये तक है। यह कटौती केवल एक बार प्राप्त होगी

वित्तमंत्री जी ने पिछले बजट भाषणों में संकेत दिये है, कि वर्तमान में कुछ योजनाओं में टैक्स मॉडल EEE लागू है, अर्थात्, निवेश के समय – करमुक्त (Exempt) (धन वृद्धि – करमुक्त) (Exempt), तथा धन वापसी भी करमुक्त (Exempt) तीनों ही स्थिति में करमुक्त है, जिसे बदलकर EET या ETE की व्यवस्था लागू की जायेगी। ऐसी स्थिति में टैक्स सेविंग इक्विटी लिंक्ड फंड में निवेश उपरोक्त परिवर्तन के बाद भी तुलनात्मक रूप से कुछ जोखिम के साथ अधिक लाभप्रद हो सकता है।

टैक्स मॉडल EEE निवेश योजना जैसे–PPF,LIC,ELSS	टैक्स मॉडल EET निवेश योजना जैसे– पेंशन प्लान	टैक्स मॉडल ETE निवेश योजना जैसे–बैंक FD, NSC
निवेश – करमुक्त (Exempt) –E धनवृद्धि– करमुक्त (Exempt) –E धनवापसी–करमुक्त (Exempt) –E	निवेश – करमुक्त (Exempt)–E धनवृद्धि –करमुक्त (Exempt)–E धनवापसी–करयोग्य(Taxable)–T	निवेश –करमुक्त (Exempt) –E धनवृद्धि–करयोग्य (Taxable) –T धनवापसी–करमुक्त (Exempt) –E